21.5.16 पत्रावली कोर्ट कैम्प-आलोलो में पेश हुई। पत्रावली में निर्णय अलग से लेखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली फैसले शुमार हो दर्ज नम्बर से कम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
शीतलावाड़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाडा द्वारा आयोजित दीवानी फौजदारी राजस्व प्रकरणों की राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 21.05.2016 के अन्तर्गत केम्प कोर्ट– मालोला
पीठासीन अधिकारी उम्मेदसिंह राजावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 95/2016

1 देबीलाल पुत्र श्रीमांगीलाल विश्नोई नि0 जम्बेश्वरनगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
2 भरत पुत्र श्री जितेन्द्र नागौरी निवासी आबादी माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

–**प्रार्थी**

बनाम

1 सूरजमल पुत्र श्रीछीतर जाट निवासी नारायणपुरा तहसील व जिला भीलवाडा
2 डालु आत्मज श्रीदेवबक्ष जाट निवासी नारायणपुरा तहसील व जिला भीलवाडा
3 श्रीमती जमनी पत्नी श्री देवबक्ष जाट निवासी नारायणपुरा तहसील व जिला भीलवाडा
4 श्रीमती चंचल पत्नी श्री सुनील तोषनीवाल निवासी वीर सावरकर चौक भीलवाडा
5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

–**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू.–राज.अधि., 1956
निर्णय दिनांक 21.05.2016

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू.–राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 14.03.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम नारायणपुरा प0म0 मालोला तहसील भीलवाडा मे उसके खाते की कृषि भूमि आराजी न0 430/3 रकबा 0–04, आ0नं0 432/3 रकबा 0–18, आ0नं0 433/1 रकबा 1–02 कुल किता 3 कुल रकबा 2–04 बीघा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 14.03.2016 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी/अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। अप्रार्थीगण उपस्थित नही है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह बात निसंदेह है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार हेराफेरी होने का अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील भीलवाडा ग्राम मालोला प0म0 मालोला मे स्थित प्रार्थी के खाते की कृषि आ0न0 430/3 रकबा 0–04, आ0नं0 432/3 रकबा 0–18, आ0नं0 433/1 रकबा 1–02 कुल किता 3 कुल रकबा 2–04 बीघा भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभयपक्षकरान की उपस्थिति में करा देंवे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील कार्यालय भीलवाडा में 300/–रू0 बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा करायें, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा, खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 21.05.2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमारं होकर दाखिल दफ्तर रहें।

(उम्मेदसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा